न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा

पीठासीन अधिकारीः– कैलाश चन्द गुर्जर, उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा

प्रकरण संख्या– 44/2021 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा.ले.रे.एक्ट

देवीलाल पिता रामा धाकड उम्र 70 वर्ष पेशा काश्त निवासी प्रतापपुरा(बोराव) तहसील रावतभाटा जिला चित्तौडगढ़।

...............प्रार्थी

विरूद्ध

1. घीसा पिता कजोड धाकड़ उम्र 50 वर्ष पेशा काश्त निवासी शम्भुनाथ जी खेडा (तम्बोलिया) तहसील रावतभाटा जिला चित्तौडगढ़।
2. भूमिधारी तहसीलदार सा. तहसील रावतभाटा जिला चित्तौडगढ़।

...........विपक्षी

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से :– **श्री आजाद हुसैन।**

अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से :– **श्री अर्जुन सिंह चुण्डावत।**

दिनांकः– 24.03.2022

–ःआदेशः–

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया हैं कि ग्राम मौजा गोराकिया प0ह0 तम्बोलिया तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत 2076–79 दर्ज रिकार्ड हैं। जिसकी खतोनी संख्या 524 खंसरा सं. 57, 69 कुल किता 02 कुल रकबा 0.25 है0 लगानी 0. 92 रूपये व मोजा गोराकिया प0ह0 तम्बोलिया की खतोनी सख्या 29 खसरा संख्या 56, 67, 68 कुल कितस 03 कुल रकबा 1.56 है0 लगान 18.28 रूपये के नाम सहखातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड होकर प्रार्थी के सहखातेदारी एवं कब्जेकाश्त की हैं जिसकी पत्थरगढी करने का निवेदन किया है।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र द्वारा निवेदन किया कि खंसरा सं. 57, 69 व 56, 67, 68 के पड़ौसी खातेदार व प्रार्थीगण के बीच कृषि आराजीयात पर फसल बुवाई और फसल कटाई को लेकर व पास मेब के बाडे में फसल को रखने को लेकर व आये दिन मेड, घास फुस को काटने व सीमाओं को लेकर विवाद होता रहता है। प्रार्थी ने निवेदन किया हैं कि प्रार्थी की सहखातेदारी की आराजीयात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराये जावे। प्रार्थी की ओर से आराजीयात जैर बहस की नकल जमाबंदी एवं नक्शा ट्रैस प्रस्तुत किया गया हैं। प्रार्थी को सुना तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का निरीक्षण किया– प्रार्थी उक्त आराजीयात जैर बहस के सहखातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजीयात जैर बहस की नपती करा पत्थरगढ़ी कराने का अधिकार निहित है।

पत्रावली पर अप्रार्थी की ओर अधिवक्ता श्री अर्जुन सिंह चुण्डावत ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी भी प्रार्थी के पत्थरगढी के साथ ही की जावें। पेरोकार सरकार तहसीलदार रावतभाटा द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं कर प्रार्थना पत्र पर सहमति व्यक्त की गई। पत्रावली में उभय पक्ष की बहस सुनी। पत्रावली पर उभय पक्ष को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया, तथ्यों पर मनन किया गया।

अप्रार्थी संख्या 01 अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी पृथक से कराने का अधिकार रखता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अप्रार्थी संख्या 01 सहखातेदार नहीं होने से व पृथक–पृथक कृषि आराजीयात का खाता होने से एक ही प्रार्थना पत्र पत्थरगढी के में प्रार्थी व अप्रार्थी की पत्थरगढी किया जाना विधीवत व नियमानुसार सही नहीं है। अतः अप्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारीज किया जाता है।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–128 रा.ले.रे. एक्ट को स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रावतभाटा को प्रकरण हाजा में कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता हैं ग्राम मौजा गोराकिया प0ह0 तम्बोलिया तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

Scanned with CamScanner

सम्वत 2076–79 दर्ज रिकार्ड है। जिसकी खतोनी संख्या 524 खसरा सं. 57, 69 कुल किता 02 कुल रकबा 0.25 है0 लगानी 0.92 रूपये व मोजा गोराकिया प0ह0 तम्बोलिया की खतोनी सख्या 29 खसरा संख्या 56, 67, 68 कुल कितस 03 कुल रकबा 1.56 है0 लगान 18.28 रूपये के नाम पर सहखातेदारी हक दर्ज रिकार्ड की फरिकेन मुकदमा को सूचित कर उनकी उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे अनुसार बिना कब्जे में दखल दिये नपती की जाकर सही सीमा चिन्ह स्थापित किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी की जावे एवं मौके पर कोई विवाद हो तो पुनः न्यायालय में पेश करें। पर्चा मौका एवं मौका ट्रैस 15 योम में इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे। कमिश्नर फीस 1000/–रूपये अक्षरे एक हजार रूपये प्रार्थी से वसूल किये जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर जा.दी. दायरी रजिस्टर नम्बर से कम होकर शुमार फैसल हो।

यह निर्णय आज दिनांक 24.03.2022 को खुले न्यायालय के इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा जिला चित्तौडगढ

Scanned with CamScanner